डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजीयन क्रमांक रायपुर डिवीजन

सत्यमेव जयते

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 128] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 12 जून 2001—ज्येष्ठ 22, शक 1923

वित्त, वाणिज्यिक कर, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी तथा 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग
मंत्रालय, डी. के. एस. भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 जून 2001

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/3/2001/वाक /पांच (25).—चूंकि छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न स्थानों पर छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (1995 का क्रमांक 5) के अधीन कर अपवंचन रोकने हेतु यह आवश्यक है. अत: राज्य शासन द्वारा उपरोक्त अधिनियम की धारा 45 ए की उपधारा (1) में दिये गये अधिकारों का उपयोग करते हुए अधिसूचना क्रमांक एफ-10/3/2001/वा.कर/पांच (9) दिनांक 1-5-2001 के अनुक्रमांक 1 में स्थापित जांच चौकी और नाका के स्थान का नाम एवं वर्णन तथा जांच चौकी और नाका की स्थिति में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :

अनुक्रमांक (1)	जांच चौकी और नाका के स्थान का नाम एवं वर्णन (2)	जांच चौकी और नाका की स्थिति (3)
1.	बम्बई-कलकत्ता मार्ग पर राजनांदगांव जिले में पाटेकोहरा (रामपुर) में छत्तीसगढ़ के भीतर आने वाले वाहन (इनकमिंग) एवं बम्बई की ओर से कलकत्ता जाने वाले माल के वाहनों (आउट टू आउट) से संबंधित जांच हेतु जांच चौकी.	राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 6 नागपुर मार्ग पर राजनांदगांव से 40वें और 41वें किलोमीटर के बीच.

(1)	(2)	(3)
2.	बम्बई-कलकत्ता मार्ग पर राजनांदगांव जिले के ग्राम चिचोला में छत्तीसगढ़ राज्य से नागपुर की ओर जाने वाले माल वाहन (आउट गोविंग) एवं कलकत्ता की ओर से बम्बई जाने वाले माल के वाहनों (आउट टू आउट) से संबंधित जांच हेतु जांच चौकी.	राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 6 नागपुर मार्ग पर राजनांदगांव से 38वें और 39वें किलोमीटर के बीच.

यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से प्रभावशील होगी.

Raipur, the 12th June 2001

NOTIFICATION

No. F-10/3/2001/CT/V/(25).—Whereas the State Government is satisfied that it is necessary to do so with a view to prevent of check evasion of tax under the Chhattisgarh Commercial Tax Act, 1994 (No. 5 of 1995). The State Government is exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 45 A of the said Act, has set up the check post and errect the barriers by notification No. F-10/3/2001/CT/V(9) Raipur dated 1-5-2001; S. No. 1 of said notification is hereby amended as under :

S. No. (1)	Name of Description of Place of Check Post & Barriers (2)	Location of Check Post & Barriers. (3)
1.	Patekohara (Rampur) Check Post on Bombay-Calcutta Road in Rajnandgaon District. To Check the incoming goods vehicle and incoming (out to out) vehicle towards Calcutta.	Between 40th and 41th K.M. from Rajnandgaon on Raipur-Nagpur Road National Highway No. 6.
2.	Village Chichola Check Post on Bombay-Calcutta Road in Rajnandgaon District. To check the out going goods vehicle and out going (out to out) vehicle towards Bombay.	Between 38th and 39th K. M. from Rajnandgaon on Raipur -Nagpur Road National Highway No. 6.

This Notification shall come into force with effect from the date of publication in official gazette.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शैलेश पाठक, संयुक्त सचिव.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.